

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, उदयपुर

विपक्षी :- श्री देवकिशन

प्रार्थी :- श्री अनिल

पत्रावली संख्या : 48/21

किस्म मुकदमा - 128 भूरा.अधि.

GCMS: 2021/423

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा  
सूचनाएं जारी की  
गई

दिनांक : 12.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 के अनुपस्थित रहने पर पुर्व में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।


प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी है। इस कारण विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थी अपनी भूमि में ताराबंदी एवं बाउण्ड्री करवाना चाहता है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं हाने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

**-: आदेश :-**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खडौदा पटवार हल्का बरोडिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरोदा तहसील भीण्डर उदयपुर राज. में आराजी नम्बर 1094/2 क्षेत्रफल 5 बिघा भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 500/- पांच सौ रुपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में भू-प्रबंधन के बाद बने नये खसरा नंबरान के आधार पर पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय सुनाया गया।



  
12/7/22  
(रमेश सारवी पुनाडिया RAS)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) भीण्डर  
सहायक कलक्टर  
भीण्डर

